

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
 19 APR 2012
 इलाहाबाद DBFT




विक्रय विलेख

1	प्रतिफल की धनराशि	-	रु 4,50,000/-
2	बाजार मूल्य	-	रु 18,83,000
3	अदा किये गये जनरल स्टैम्प	-	रु 1,32,000
4	भूमि का प्रकार	-	कृषि
5	परगना	-	अरेल
6	ग्राम	-	देवरख उपरहार
7	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा सं० 563/3 व खसरा सं० 652
8	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर में
9	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.251 हेक्टेयर
10	सड़क की स्थिति	-	X
11	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
12	पेदों की स्थिति	-	कुछ नहीं है।
13	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है।

Pramod Kumar

[Signature]



कलेक्टर कोशामार
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 959527

उत्तर 19 APR 2012 प्रदेश

2

चौहददी

इलाहाबाद DSFT

आपसी नम्बरान संलग्न नक्शे में प्रदर्शित है।

प्रथम पक्ष की संख्या-1

द्वितीय पक्ष की संख्या-1


विकेता का विवरण	:	केता का विवरण
प्रमोद कुमार पुत्र दालचन्द्र, निवासी ग्राम महरौली, पोस्ट-शाहपुर बमेहटा, जिला- गाजियाबाद।		जितेन्द्र कुमार पुत्र लालता प्रसाद 71, शहीद भगत सिंह इन्कलेब, आई० वी० आर० आई० तहसील- बरेली जिला- बरेली, उ० प्र० 243003
व्यवसाय- कृषि/नौकरी		व्यवसाय- कृषि/नौकरी
जति : अनुसूचित		जति : अनुसूचित

विकय पत्र

मैं प्रमोद कुमार पुत्र दालचन्द्र, निवासी ग्राम महरौली, पोस्ट-शाहपुर बमेहटा,
जिला- गाजियाबाद का हूँ। जिन्हे आगे विकेता कहा गया है

Pranod Kumar

Kumar



कलकत्ता कोटगार
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
उत्तर 19 APR 2012 प्रदेश
इलाहाबाद DSFT एवम्

A 959526


3

जितेन्द्र कुमार पुत्र लालता प्रसाद 71, शहीद भगत सिंह इन्कलेब, आई० वी० आर० आई० तहसील- बरेली, जिला- बरेली (उ० प्र०) 243003। जिन्हे आगे कंता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। (कंता एवं विकेता शब्द के अन्तर्गत कंता और विकेता एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादकगण एवं वारिसान शामिल है।)

यह कि विकेता भूमि खसरा सं० 563/3 रकबा 0.148 हे० व खसरा सं० 652 रकबा 0.479 हे० कुल 0.627 हे० का 2/5 भाग रकबा 0.251 हे० जो विक्रीत रकबा है और जो ग्राम -देवरख उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना जिला इलाहाबाद में स्थित है का मालिक, कामिल व काबिज है विकेता प्रमोद कुमार पुत्र दालचन्द्र के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विकेता प्रमोद कुमार पुत्र दालचन्द्र उपरोक्त खसरा नम्बरान में से रकबा 0.251 हेक्टेयर कंता जितेन्द्र कुमार पुत्र लालता प्रसाद 71, शहीद भगत सिंह इन्कलेब, आई० वी० आर० आई०, तहसील- बरेली, जिला- बरेली (उ० प्र०) 243003। के पक्ष में बैनामा कर रहा है। विकेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा कंता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विकेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और

Pranod Kumar

Pranod



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 959525

4


इलाहाबाद DSPT

उक्त भूमि सारप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कही कोई बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे।

उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त भूमि का विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य ₹ 4,50,000/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है। एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि

Pramod Kumar

Pruma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 959524

उत्तर 19 APR 2012 प्रदेश

5

इलाहाबाद DSIT

का बिक्रे पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारो के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे की सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा विक्रित भूमि का कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता व उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद तथा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, तथा अन्य किसी भी

Premod Kumar

Arjun



उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

Z 480195

उत्तर 12 APR 2017

6

[Handwritten signature]

सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित

यह कि केता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति नही होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेता भुगतान व वहन करेगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान ग्राम देवरख उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद अर्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 7500000/- प्रति हेक्टेयर की दर से विकीत भूमि 0.251 हेक्टेअर की मालियत रु0 18,83,000/(अठ्ठारह लाख तिरासी हजार मात्र)- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक नहीं है इसलिए नियमानुसार बजारू मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से रु0 1,32,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विकीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए कय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआ भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विकीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग

Ramesh Kumar

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 543403

उत्तर

16 APR 2017

7

जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है विकीत भूमि गिर्जापुर रोड़ से लगभग 500 मीटर से

अधिक दूरी पर स्थित है।

विकेता और केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विकय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विकय पत्र विकेता ने केता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

तफसील जायदाद


मौजा देवरख उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना, जनपद- इलाहाबाद, आराजी नं० खसरा संख्या सं० 563/3 रकबा 0.148 व खसरा सं० 652 रकबा 0.479 कुल रकबा 0.627 हे० का 2/5 भाग रकबा 0.251 हे० लगान 60 बकदर कुल विकय किया।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

विकेता को रू० 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार रू० मात्र) नकद प्राप्त किया है। तथा 25000/- पच्चीस हजार बजरिये चेक नं० 62134 दिनांक 19.04.12, एक्सिस बैंक, सेक्टर 18, नोएडा से प्राप्त किया।

Ramod Kumar

Thomas



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 543399

उत्तर 16 APR 2012

8

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय 4,50,000/- ;चार लाख पचास हजार रू०

मात्रक केता से प्राप्त हो गये है जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है तथा अब विक्रेता

को केता से कुछ भी पाना शेष नहीं है।

- 1- गवाह *Uday Kumar S/O Sheng Kerdal*
Vasishth Unnigalk Tower
Allahabad
- 2- गवाह



दिनांक - 19/4/2012

टाइपकर्ता *अमृता सिंह*


शिवमूर्ति विश्वकर्मा
% रामशंकर विश्वकर्मा
पिन. विनायक पक
इलाहाबाद

मसविदाकर्ता *ASG/h*



Premad Kumar

Prerna



नाम दिनांक 7/6/12

संख्या F

पृष्ठ 25/24 पर क्रम संख्या

निबंधित किया गया।

को फोटो स्टैंड

खण्ड 7/29 के

3588 पर

~~उप निबंधक~~

करछना-इलाहाबाद

